न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2017/00097

सिविल प्रकरण संख्याः– 45/2018 तारीख रजू 26.11.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. जेठानंद मेलवानी पुत्र भुंगडामल वीरूमल मेलवानी निवासी झूलेलाल जी के मंदिर के पास शहर, सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक)– मैसर्स जेठानंद एण्ड सन्स सब्जी मंडी शहर, सवाई माधोपुर ।
2. दिनेश चन्द जैन पुत्र किस्तुर चन्द जैन निवासी जय गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर लालवास जयपुर 302027 (फर्म मालिक) **(फौत)**
   मैसर्स वर्धमान फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं0 3 विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 30.03.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 21.02.2018 को समय 04.00 पी.एम. पर मैसर्स जेठानंद एण्ड सन्स सब्जी मंडी शहर, सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। वहां पर जेठानंद मेलवानी पुत्र भुंगडामल वीरूमल मेलवानी निवासी झूलेलाल जी के मंदिर के पास शहर सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ बिस्किट, टॉफिया एण्ड नमकीन आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी दुकान की रेक में खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** की पैकिंग में 18 पाउच विक्रय हेतु रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं क्रय बिल की प्रति मौके पर नहीं होना बताया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने [...] फोर्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उपस्थिति में तैयार विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** के 04 पाउच वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 240/- रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** के 04 पाउच को प्लास्टिक के 04 जारो में बराबर-बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द किया, आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1356 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता जेठानंद मेलवानी पुत्र भुंगडामल वीरूमल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोधा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/1099 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 170/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/124 दिनांक 06/03/2018 के द्वारा उक्त नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत अभियुक्त सं0 1 से खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं उक्त खाद्य पदार्थ का बिल चाहे जाने पर अभियुक्त सं0 1 द्वारा मय प्रत्युत्तर भिजवाया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर को फर्म मालिक/नोमिनी/भागीदार एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना हेतु लिखने पर वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर द्वारा पत्रों का कोई प्रत्युत्तर नहीं भिजवाया गया। अतः आवेदक ने वाणिज्य कर अधिकारी वार्ड 3 जयपुर को पत्र लिखकर फर्म की सूचना चाही गई जिस पर वाणिज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कर अधिकारी वार्ड 3 जयपुर ने मैसर्स वर्धमान फूड प्रोडक्टस नायला रोड हीरावाला बस्सी जयपुर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सूचना मय पत्र जरिये ईमेल (fsoraj67@gmail.com) पर भिजवायी गयी। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक एफएसएसए/2018/3988 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभियुक्त संख्या 2 की तलवी जरिये संबंधित थानाधिकारी किये जाने पर नोटिस की पुस्त पर अभियुक्त संख्या 2 के पुत्र श्री शुभम जैन 9772540269 द्वारा अभियुक्त सं0 2 की मृत्यु दिनांक 10.12.23 को होने (मृत्यु प्रमाण संलग्न) तथा उक्त प्लाट नं0 3 विनायक एन्क्लेव हीरावाला फैक्ट्री वर्तमान में श्री सुनील शर्मा 9351610311 की होना अंकन के साथ वापिस प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** को प्रयोगशाला की जांच में मिसब्राण्ड घोषित किया है, अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपंधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अभियुक्त संख्या 2 की फर्म वर्धमान फूड प्रोडक्टस नायला रोड हीरावाला बस्सी जयपुर से जरिये बिल उक्त नमूना खरीद किया है। उक्त नमूने मिसब्राण्ड आया है जिसमें विक्रेता का कोई दोष नहीं है। उक्त नमूने की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं है। नमूने के मिसब्राण्ड आने का पूर्णतया दायित्व मैसर्स वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर का है। अभियुक्त संख्या 2 की मृत्यु होने पर उक्त फर्म का दायित्व कम नहीं हो जाता है। अन्त में वकील अभियुक्त संख्या 1 ने प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 को दोषमुक्त कर फर्म वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर से शास्ति राशि वसूलने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 170/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/124 दिनांक 06/03/2018 के अनुसार आवेदक द्वारा लिये गये नमूने में इनग्रेडिएन्ट्स डिसेन्डिग ऑर्डर में नहीं होने तथा मिसलीडिंग होने खाने योग्य वनस्पति तेल का स्पेसिफिक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अनुपस्थित होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के नियम 2.2.2(2)(b), 2.2.1(3), 2.2.2(2)(c), 2.2.2(5)(ii)(b) का उल्लंघन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त संख्या 1 व फर्म वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ नमकीन (मुकेश) 400 ग्राम का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व फर्म वर्धमान फूड प्रोडक्टस विनायक एनक्लेव नायला रोड हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर पर कुल 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.**03.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:23 IST
Reason: SelfAttested